क्रम-संख्या–18(क–4)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, सोमवार, 19 फरवरी, 2024

माघ 30, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 242 / वि0स0 / संसदीय / 31(सं) -2024

लखनऊ, 9 फरवरी, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप–लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 9 फरवरी, 2024 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप–लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप–लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप–लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) यह सरकारी गजट में इसके प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन किये गये संशोधन, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से पूर्व नियुक्त लोकायुक्तों तथा उप–लोकायुक्तों पर लागू नहीं होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42, सन् 1975 की धारा 5 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप–लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 5 में, विद्यमान उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थातः–

''(1) लोक आयुक्त या उप–लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, पांच वर्ष की अवधि अथवा सत्तर वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक के लिए पद धारण करेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या उप–लोक आयुक्त अपनी पदावधि की समाप्ति के होते हुए भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद भार ग्रहण न कर लेः

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि–

(क) लोक आयुक्त या उप–लोक आयुक्त, राज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) लोक आयुक्त या उप–लोक आयुक्त को धारा 6 में विनिर्दिष्ट रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा।''

———

उद्देश्य और कारण

कतिपय मामलों में मंत्रियों, विधायकों और अन्य, लोकसेवकों के विरूद्ध शिकायतों और अभिकथनों का अन्वेषण करने के निमित्त, कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति और उनके कृत्यों के लिए तथा उनसे सम्बंधित एवं आनुषंगिक विषयों हेतु उपबन्ध किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप–लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42 सन् 1975) अधिनियमित किया गया है।

प्रारम्भ में लोक आयुक्त और उप–लोक आयुक्त की पदावधि पांच वर्ष थी। कतिपय विशेष परिस्थितियों के कारण और कार्यहित में उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप–लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2012 द्वारा लोक आयुक्त तथा उप–लोक आयुक्त की पदावधि आठ वर्ष तक बढ़ा दी गयी। लोक आयुक्त तथा उप–लोक आयुक्त के वर्तमान निर्धारित कार्यकाल पर सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि आठ वर्ष का कार्यकाल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक है। यह भी नोट किया गया कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 1 सन् 2014), लोकपाल का कार्यकाल पांच वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, का उपबंध करता है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि लोक आयुक्त या उप–लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, पांच वर्ष की अवधि या सत्तर वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारित करेगा।

तद्नुसार, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप–लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप–लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त अधिनियम, 1975

धारा 5 (1) "(1) लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद भार ग्रहण करने के दिनांक से आठ वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त अपनी पदावधि की समाप्ति के होते हुये भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद भार ग्रहण न कर लेः

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि,–

(क) लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त राज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा,

(ख) लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त को धारा 6 में विनिर्दिष्ट रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा।"

———

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

———

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

———

No. 114/XC-S-1–24-10 S-2024
Dated Lucknow, February 19, 2024

———

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Lokayukt Tatha Up-Lokayukt (Sanshodhan) Vidheyak, 2024" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on February 9, 2024.

THE UTTAR PRADESH LOKAYUKTA AND UP-LOKAYUKTAS
(AMENDMENT) BILL, 2024
A
BILL

further to amend the Uttar Pradesh Lokayukta and Up -Lokayuktas Act, 1975.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title, commencement and application

1. **(1)** This Act may be called the Uttar Pradesh Lokayukta and Up -Lokayuktas (Amendment) Act , 2024.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the official *Gazette*.

(3) The amendments made under this Act shall not apply to the Lokayuktas and Up-Lokayuktas appointed before the date of commencement of this Act.

Amendment of section 5 of U.P. Act no. 42 of 1975

2. In section 5 of the Uttar Pradesh Lokayukta and Up- Lokayuktas Act, 1975, for the existing sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :-

"(1) Every person appointed as the Lokayukta or Up-Lokayukta shall hold office for a term of five years or upto the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the Lokayukta or an Up-Lokayukta shall, notwithstanding the expiration of his term continue to hold office until his successor enters upon his office:

Provided further that, —

(a) the Lokayukta or an Up-Lokayukta may, by writing under his hand addressed to the Governor, resign his office;

(b) the Lokayukta or an Up-Lokayukta may be removed from office in the manner specified in section 6. "

———

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1975 (U.P.Act no. 42 of 1975) has been enacted to make provision for the appointment and functions of certain authorities for the investigation of grievances and allegations against Ministers, legislators and other public servants in certain cases and for matters connected therewith and incidental thereto.

Initially, the term of office of Lokayukta and Up-Lokayukta was five years. Due to certain special circumstances and in the interest of work, the term of office of Lokayukta and Up-Lokayukta was increased to eight years *vide* the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Act,2012. After due consideration of the currently fixed tenure of Lokayukta and Up-Lokayuktas it was found that the tenure of 8 years is excessive from the point of view of physical and mental health. It was also noted that the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (Act no. 1 of 2014) provides for the tenure of Lokpal to be five years or the age of seventy years, whichever is earlier.

In view of the above, it has been decided to amend section 5 of the aforesaid Act to provide that every person appointed as Lokayukta or Up-Lokayukta shall hold office for a term of five years or upto the age of seventy years, whichever is earlier.

The Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Bill, 2024 is introduced accordingly.

YOGI ADITYANATH
Mukhya Mantri.

———

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 1127 राजपत्र—2024—(3141)—599+25+5=629 प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।